न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 184 / 2023

प्रार्थी

तेजाराम पुत्र मोटाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चोलाराम पुत्र मोटाराम उम्र 75 वर्ष
2. डालूराम पुत्र मोटाराम उम्र 71 वर्ष
3. नानगाराम पुत्र जेताराम उम्र 70 वर्ष
4. किशनाराम पुत्र डालूराम उम्र 60 वर्ष जातियान जाट निवासी जोधेश्वर नगर, माटाला तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
5. बाबु खां पुत्र अलगुखां उम्र 62 वर्ष
6. बरकत खां पुत्र अलगुखां उम्र 58 वर्ष
7. अनवर पुत्र अलगुखां उम्र 70 वष
8. खमीशा पुत्र लाखा खां उम्र 55 वर्ष
9. गनीखां पुत्र मेहबूब खां उम्र 35 वर्ष जातियान मुसलमान जोधेश्वर नगर, माटाला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
10. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा जोधेश्वर नगर पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 31 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा संख्या 33/2 रकबा 8.0253 हैक्टयर, खसरा संख्या 149/30 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

6553 हैक्टयर व खसरा संख्या 38/3 रकबा 2.0630 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा जोधेश्वर नगर पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 31 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा संख्या 33/2 रकबा 8.0253 हैक्टयर, खसरा संख्या 149/30 रकबा 0.6553 हैक्टयर व खसरा संख्या 38/3 रकबा 2.0630 हैक्टयर खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा जोधेश्वर नगर पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 31 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा संख्या 33/2 रकबा 8.0253 हैक्टयर, खसरा संख्या 149/30 रकबा 0.6553 हैक्टयर व खसरा संख्या 38/3 रकबा 2.0630 हैक्टयर खातेदारी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा जोधेश्वर नगर पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 31 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा संख्या 33/2 रकबा 8.0253 हैक्टयर, खसरा संख्या 149/30 रकबा 0.6553 हैक्टयर व खसरा संख्या 38/3 रकबा 2.0630 हैक्टयर खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा जोधेश्वर नगर पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 31 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा संख्या 33/2 रकबा

पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है.जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण **बावजूद** रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है.इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के **आवेदन को** स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय मे उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नही किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जोधेश्वर नगर पटवार हल्का सडा में खसरा संख्या 31 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा संख्या 33/2 रकबा 8.0253 हैक्टयर, खसरा संख्या 149/30 रकबा 0.6553 हैक्टयर व खसरा संख्या 38/3 रकबा 2.0630 हैक्टयर खातेदारी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested